सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय
की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)

"बी" बिंग, छठा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003

**File No- Review/06/JH(Dist-WestSinghbhum)/2024-Coord**

**दिनांक 07 अगस्त, 2024 को झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा द्वारा किए गए दौरे की समीक्षा रिपोर्ट।**

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

**आयोग के दौरे के दौरान आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारी आयोग की माननीया सदस्य(डॉ आशा लकड़ा) के साथ उपस्थित रहे :-**

| क्र. स. | नाम | पद |
|---|---|---|
| 1. | श्री पी. के. दास | अनुसंधान अधिकारी |
| 2. | श्री कुशेश्वर साहू | माननीया सदस्य के निजी सचिव |
| 3. | श्री राहुल | अन्वेषक |
| 4. | श्री सुभाशीष सोरेन | विधिक सलाहकार |
| 5. | श्री राहुल यादव | विधिक सलाहकार |

**दिनांक 07 अगस्त, 2024 को झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले मे छात्रावासों का दौरा, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के साथ बैठक और पश्चिमी सिंहभूम जिले के पदाधिकारियों के साथ जिले की समीक्षा बैठक**

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो देश में अनुसूचित जनजाति के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित सभी मामलों की अन्वेषण और निगरानी करता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर आयोग से परामर्श करेगा। आयोग को भारत के माननीय राष्ट्रपति को उन सुरक्षणों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है और ऐसी सभी रिपोर्ट संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई और ऐसी सिफारिशों के अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने होते हैं।

**1: अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विधालय, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड**

सुबह 10.00 बजे आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने आयोग की टीम के साथ **अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विधालय, चाईबासा** का दौरा किया जिसके दौरे की शुरुवात मे सबसे पहले माननीया सदस्य छात्राओं से मिली और उनके साथ पूरे विधालय एवं छात्रावास का दौरा किया।

डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य ने वहां छात्राओं को अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया कि एन.सी.एस.टी अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है।

विद्यालय में कक्षा 1 से 10 तक के छात्र पढ़ते हैं, जिनकी संख्या लगभग 248 है। छात्रावास में पानी से संबंधित समस्याएँ हैं; पीने का पानी बाहर से मंगाया जाता है। छात्रावास में आर.ओ. (R.O.) की व्यवस्था नहीं है। स्नानघर और अन्य कामों के लिए पानी की स्टोरेज टंकी खराब है, जिससे छात्र पानी की मोटर चला कर सीधे पानी का उपयोग करते हैं। यदि बिजली नहीं होती, तो पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती। पुस्तकालय तो है, लेकिन उसमें बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपातकालीन बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे बिजली न होने पर छात्रों को कई घंटों तक अंधेरे में रहना पड़ता है, और इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। छात्राओं ने बताया है कि उन्हें अभी तक किताबें नहीं मिली हैं जिस कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi



File No. Review/06/JH(Dist-WestSinghbhum)/2024-Coord (Computer No. 24546)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:00 pm

*अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय में वृक्षारोपण की छायाप्रति*

## 2 :महिला कॉलेज के अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड

सुबह 10.30 बजे आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने आयोग की टीम के साथ **महिला कॉलेज के अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास, चाईबासा** का दौरा किया जिसके दौरे की शुरुवात मे सबसे पहले माननीया सदस्य छात्राओं से मिली और उनके साथ छात्रावास का दौरा किया |

डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य ने वहां छात्राओं को अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया कि एन.सी.एस.टी अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है।

छात्रावास में अंडरग्रेजुएट और इंटर की छात्राएँ रहती हैं, जहाँ सामान्यतः प्रति कमरे में 4 छात्राएँ होती हैं, लेकिन एक कमरे ऐसा है जहाँ 20 छात्राएँ रह रही हैं। पानी के कुल 6 टैंक हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है; बाकी खराब हैं, जिससे छात्राओं को पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है, और शौचालय के लिए भी पानी बाहर से लाना पड़ता है। इसके अलावा, छात्राओं को खाने और निजी सुरक्षा गार्ड तथा रसोइया के लिए पैसे स्वयं देने पड़ते हैं। बेड्स के गद्दों की भी आवश्यकता है, और छात्राओं के लिए पुस्तकालय का अभाव एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिसकी आवश्यकता अत्यंत आवश्यक है।

## 3 : अनुसूचित जनजाति बालक कल्याण छात्रावास, ताटा कॉलेज, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड

सुबह 11.30 बजे आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने आयोग की टीम के साथ **अनुसूचित जनजाति बालक कल्याण छात्रावास, ताटा कॉलेज, चाईबासा** का दौरा किया जिसके दौरे की शुरुवात मे सबसे पहले माननीया सदस्य छात्राओं से मिली और उनके साथ छात्रावास का दौरा किया |

डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य ने वहां छात्राओं को अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया कि एन.सी.एस.टी अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है।

छात्रावास का निर्माण सन 1959 में किया गया था, लेकिन वर्तमान में भवन की स्थिति बहुत खराब है। इसकी जर्जर हालत से छात्राओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि सुरक्षा, स्वच्छता, और आरामदायक आवास की कमी। इस भवन की मरम्मत और पुनर्निर्माण की आवश्यकता है ताकि छात्राएँ एक सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण में रह सकें।

छात्रावास में 100 बेड हैं, लेकिन लगभग 200 छात्र रहते हैं। भवन की स्थिति जर्जर है, और शौचालय, रसोईघर, कमरे, और अन्य सभी जगह परिसर में खराब हालत में हैं। पानी की समस्या भी गंभीर है; चापानल खराब है और

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi



File No. Review/06/JH(Dist-WestSinghbhum)/2024-Coord (Computer No. 24546)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:00 pm

पानी की मोटर भी कार्य नहीं कर रही है। खाना बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जिससे छात्रावास में कई समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।

- *रसोईघर एवं शौचालय की छायाप्रतियाँ*

**3 : ताटा कॉलेज, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड**

सुबह 12.00 बजे आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने आयोग की टीम के साथ छात्रों से मिली और वहां छात्राओं को अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया कि एन.सी.एस.टी अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है।

- *ताटा कॉलेज, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड में छात्रों से भेंट।*

**4 :अनुसूचित जनजाति समुदायों के चाईबासा, पश्चिम सिंघभुम, झारखण्ड के प्रतिनिधियों के साथ बैठक |**

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने वहां उपस्थित लोगों को अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया कि आयोग अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए समर्पित है। उन्होंने भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षणों के कार्यान्वयन के निगरानी और मुल्यांकन में आयोग की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने एन.सी.एस.टी के अधिकारियों द्वारा शिकायत की जांच करने और एस.टी समुदायों की शिकायतों का समाधान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई पर प्रकाश डालता है और सुनिश्चित करता है कि एस.टी समुदाय के अधिकारों को बरकरार रखा जाए और उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi



File No. Review/06/JH(Dist-WestSinghbhum)/2024-Coord (Computer No. 24546)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:00 pm

अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया, जिसके दौरान कई याचिका आयोग को सौंपी गयी । चर्चा के दौरान, डॉ. आशा लाकड़ा, माननीया सदस्य ने एस.टी समुदाय के सदस्यों और एसटी संघो के प्रतिनिधियों को एन.सी.एस.टी.ग्राम पोर्टल (www.ncstgrams.gov.in) के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एसटी समुदाय के सदस्य अपनी शिकायतें आसानी से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) के पास सीधे तौर पर दर्ज कर सकते है। उन्हें समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई जिसमें सरकारी कार्यालयों द्वारा सरकारी सेवाएँ प्रदान करने में स्थानीय बुनियादी ढांचे की कमी शामिल है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में चर्चा के दौरान, अनुसूचित जनजाति के समुदायों को प्रभावित करने वाले कई गंभीर मुद्दें की पहचान की गई जो निम्नानुसार है-

1. **राजनीतिक लाभ एवं भूमि बिक्री** :- गैर-अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जनजाति की लड़कियों से विवाह कर उनके नाम से भूमि खरीद कर दुरुपयोग और अन्य राजनीति लोभों को प्राप्त कर अनुसूचित जनजाति लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा हैं।
2. **केंद्र सरकार आवासीय योजना की सेवा प्रदान करना:** केंद्र सरकार की आवासीय योजना के अंतर्गत दी गयी सुविधाओं का सही तरीके से अनुपालन न करना, महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गया है।
3. **बालिकाओं एवम बालको के लिए जनजातीय कल्याण छात्रावासों का प्रबंधन:** बालिकाओं एवम बालको के लिए जनजातीय कल्याण छात्रावासों के प्रबंधन से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला गया।
4. **सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की समय की पाबंदी और उपस्थिति:**

4.1 सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की समय की पाबंदी और उपस्थिति को चिंता के विषय के रूप में पहचाना गया है। शिक्षा विभाग को उपस्थिति की नीतियों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रणाली लागू करने पर विचार करना चाहिए कि शिक्षक उपस्थित हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इससे छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षक नहीं हैं, जिसके कारण ड्रॉपआउट की संख्या काफी बढ़ती जा रही है।

5. **अनुसूचित जनजाति की प्रवासी महिलाओं का पंजीकरण और सुरक्षा:** मानव तस्करी के मामले (वूमेन ट्रैफिकिंग) काफी जिलो में है अन्य राज्यों में काम करने वाली अनुसूचित जनजाति की प्रवासी महिला के लिए उचित पंजीकरण और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर चर्चा की जाए। प्रशासन को इन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक पंजीकरण प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए और सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित करना चाहिए। प्रवासी श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य जिलों और संबंधित एजेंसियों के साथ सहयोग आवश्यक है।
6. **अनुसूचित जनजाति की भूमि का हनन** :- जमींन से सम्बन्धी कई मामले सामने आए है जिसमे से कई मामलो में लिखित शिकायत भी आयोग को प्राप्त हुई है जो एक बढ़ी संख्या में है यह एक गंभीर विषय है | सीएनटी एक्ट का व्यापक स्तर पर उल्लंघन हो रहा है, और न्यायालयों में इससे जुड़े सैकड़ों मामले लंबित पड़े हैं। जाहेरस्थान और श्मशान घाटों की घेराबंदी नहीं की जा रही है, जिसके कारण लगातार समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

**5 . अनुसूचित जनजाति के लिए विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए चाईबासा , पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन के उपायुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ दिनांक 07.08.2024 को डॉ. आशा लाकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के द्वारा समाहारणालय सभा कक्ष (चाईबासा)में बैठक की गई।**

---

आरंभ में उपायुक्त ने डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, श्री पी.के.दास, अनुसंधान अधिकारी, श्री राहुल, अन्वेषक, श्री सुभाशीष सोरेन, विधिक सलाहकार, श्री राहुल यादव, विधिक सलाहकार का स्वागत किया। इसके बाद, विभाग-वार आधार पर चर्चा आयोजित की गई। उपस्थित प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी ने डॉ.

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

आशा लाकड़ा, माननीय सदस्य, एनसीएसटी को अपना परिचय दिया। इन परिचयों के बाद आयोग ने जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रशासित विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का गहन समीक्षा किया। इस समीक्षा का उद्देश्य इन योजनाओं की प्रभावशीलता, पहुंच और प्रभाव का मूल्यांकन कर यह सुनिश्चित करना था कि जिले में अनुसूचित जनजातियों की वांछित उद्देश्यों और जरूरतों को पूरा करें।

1. **शिक्षा विभाग** -:जिला में कुल कितने प्राथमिक/मध्य/उच्च विद्यालय/प्लस-टु विद्यालय/आवासीय विद्यालय/कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय/झारखण्ड आवासीय विद्यालय एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय है उक्त विद्यालयों में कुल कितने छात्र-छात्राऐं नामांकित हैं। जिसमें से कुल कितने अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राऐं नामांकित हैं नामांकित छात्र-छात्राओं का वर्गवार आँकड़ा आयोग को उपलब्ध कराएं ।

**1.2** वर्त्तमान में जिला में कुल कितने शिक्षक प्रतिनियुक्त है? जिसमें से सहायक शिक्षक /अंषकालीन शिक्षक /घंटी आधारित शिक्षक एवं पारा शिक्षकों का आँकड़ा उपलब्ध कराएं ।

**1.3** सभी संकुल स्तर पर बच्चों के कौशल विकास हेतु, Orientation Program कराने, बच्चों का ड्रॉपआउट रोकने(ग को प्रस्तुत करेंउनसे संबंधित प्रमाणित आंकड़े आयो), खेलकूद का आयोजन कराने, प्रखंड स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देने, अवस्थित विद्यालय भवन को ठीक कराने एवं नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रत्येक 5 कि की दूरी में .मी.01 उच्च विद्यालय का प्रस्ताव विभाग को भेज | नई शिक्षा नीति के अनुसार के विधार्थियों को स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करें 5 से 1 पर जो दिया जाना चाहिए |

2. **स्वास्थ्य विभाग** -:जिला में कुल कितने स्वास्थ्य केन्द्र )DH/SDH/CHC/PHC/HSC/AAM Center (संचालित है। अस्पताल में शैय्या संख्या कितनी है? स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल डॉक्टरों का स्वीकृत पद के विरूद्ध वर्तमान में कितने डॉक्टर कार्यरत है। जिला में स्वीकृत GNM, ANM एवं सहिया तथा आस्था वर्कर पदों में कितने कार्यरतरिक्त हैं/, जिसमें से अनुसूचित जनजाति वर्ग की संख्या कितनी है आयोग को आकड़े प्रस्तुत करें |

**2.2** पष्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत कुल कितने व्यक्तियों को आयुष्मान योजना के तहत लाभ पहुँचाया गया है कितने सिकलसेल एनीमिया से ग्रस्त व्यक्तियों को कार्ड दिया गया है- कोटिवार आँकड़ा उपलब्ध कराए |लोगों को जागरूक करने हेतु चिकित्सा से सम्बंधित प्रचार - प्रसार हिन्दी एवं अंग्रेजी में किया जाना चाहिए ।

3. **वन विभाग :-** कितने रेंज हैं, वन क्षेत्रफल कितना है जिला में रेंज पदाधिकारियों की संख्या कितनी हैं संबंधित वन क्षेत्रों में वितरित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन पट्टे की संख्या कितनी हैं प्रति व्यक्ति कितना व्यक्तिगत वन पट्टा दिया जाता है कितना हेक्टेयर/ऐकड़ भूमि का वितरण किया गया है उक्त सभी बिन्दुओं से संबंधित एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर आयोग को उपलब्ध कराएं |

4. **कलयाण विभाग :-** कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी, द्वारा सूचित किया जाए की वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल कितने लाभार्थियों को साइकिल का वितरण किया जा चूका है और शेष कितने रहे गये है। छात्रावासो में से कुछ का दौरा किया गया था जिनकी समस्या ऊपर उल्लेखित है और अन्य में मूलभूत सुविधाओं की कमियों को देखते हुए, समय निरीक्षण और सुधार समय पर-की जरूरत है और जिन छात्रावास की क्षमता से अधिक छात्र एवं छात्रांए रहते है इनकी क्षमताओं में बढोत्तरी की जा सकती है ।

**4.2** वितीय वर्ष-2022-23 एवं 2023-24 में कुल जाहेरस्थानों का घेराबन्दी एवं आदिवासी संस्कृति कला केन्द्र धमकुड़िया माझी हाउस, मसना, हडगड़ी, बिरसा आवास, कब्रिस्तान घेराबन्दी, छात्रवृति से सम्बंधित आकड़े आयोग को प्रस्तुत करें | जवाहरनगर, मानगो में जाहेरस्थान घेराबन्दी नहीं होने के करण उक्त जमीन का अतिक्रमण किये जा रहा है। उक्त स्थल का घेराबन्दी करने की जरूरत है। अनुसूचित जनजातियों के लिए संचालित सभी योजनाओं का ससमय कार्यान्वयन किया जा सकता है |

5. **समाज कल्याण विभाग -:** जिले में CDPO एवं पर्यवेक्षक के सृजित पद की संख्या, कुल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, अपने भवन की स्थिति, और सामुदायिक भवन में चल रहे केंद्रों की संख्या को आयोग को अवगत कराएं। धात्री माताओं, गर्भवती महिलाओं, और बच्चों की संख्या, जिनमें अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या भी शामिल हो, की जानकारी दें। गर्भवती महिलाओं, धात्री

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi



File No. Review/06/JH(Dist-WestSinghbhum)/2024-Coord (Computer No. 24546)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:00 pm

महिलाओं, और बच्चों को वितरित पोषाहार की जानकारी प्रस्तुत करें। ऐसे गांव और बस्तियों की पहचान करें जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं हैं और 30-35 परिवार रहते हैं। जिले में सेविकासहायिका की - संख्या, अनुसूचित जनजाति की सेविकासहायिका का विवरण-, और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। उच्च शिक्षाधारी प्रतिभागियों को प्राथमिकता दें और आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के रूप में विकसित करें। कुपोषित बच्चों के लिए प्रखंड मुख्यालयों में शिविर लगाएं और Healthy Baby कार्यक्रम आयोजित करें। सावित्री बाई फुले समृद्धि योजना के तहत शतप्रतिशत योग्य लाभार्थियों को - अच्छादित कर आयोग को सूचित करें।

6. **आपूर्ति विभाग :-** जिले में कुल कितने लोगों को राशन दिया जा रहा है और उनमें अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य हैं, इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। अनुसूचित जनजाति के कुल कितने सदस्यों का राशन कार्ड बना है, इसके संबंधित प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करें। आगामी दुर्गापूजा, छठ आदि त्योहारों के पूर्व सभी कार्डधारियों को समय पर राशन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि पर्व-त्योहार में किसी को असुविधा न हो। जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा कार्डधारियों को मात्र से कम राशन दिया जा रहा है। इस विषय में संबंधित विभाग कार्रवाई कर आयोग को अवगत कराए।
7. **मनरेगा :-** मनरेगा के तहत बिरसा सिंचाई कूप की संख्या क्या है प्रखंडवार कुल स्वीकृत, स्थापित और धस गए कूपों की जानकारी उपलब्ध कराएं। इनमें से अनुसूचित जनजाति वर्ग को कितना लाभ दिया गया है, इसके संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर आयोग को उपलब्ध कराएं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लक्ष्य के विरुद्ध कुल कितने आवासों का निर्माण किया गया है। बिरसा हरित योजना के तहत कितने क्षेत्रों में बागवानी की गई है और किन-किन फल-फूलों की बागवानी की जा रही है। जिले में अम्बेडकर आवास की स्थिति क्या है। अबुआ आवास योजना में कुल लाभार्थियों की संख्या कितनी है। उपरोक्त सभी बिंदुओं में से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों की संख्या भी शामिल करें, और इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर आयोग को उपलब्ध कराएं |
8. **सामाजिक सुरक्षा :-** केंद्र एवं राज्य प्रायोजित कितनी कार्य योजनाएँ संचालित हैं। योजनावार प्रत्येक वर्ग के लाभुकों की संख्या और वर्गवार लाभान्वित महिलाओं की संख्या का प्रतिवेदन तैयार कर आयोग को उपलब्ध कराएं |
9. **जे°एस°एल°पी°एस°:-** ऋण कितने एस.एच.जी. ग्रुप के लाभुकों को मुहैया कराया गया है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्यों को लाभ दिया गया है, से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई है। साथ ही, कितने लोगों को कौशल विकास एवं मध्यम श्रमिकों के प्रशिक्षण दिया गया है, और लाभुकों को मशरूम उत्पादन हेतु प्रोत्साहन के लिए किया जा सकता है |
10. **जिला उद्योग केंद्र :-** कुल कितना पंजीकरण किया गया, जिसमें से अनुसूचित जनजाति वर्ग का पंजीकरण संख्या कितना है उन्हें Entrepreneurship के लिए कैसे आगे अग्रसारित किया जा सकता है। साथ ही साथ लाह उत्पादन करने, महिला समिति को चूड़ी बनाने एवं चिरौंजी उत्पादन हेतु प्रोत्साहित कर सकते है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना अंतर्गत कितने लाभुकों को विगत दो वर्षो में ऋण मुहैया कराया गया है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना है, से संबंधित प्रतिवदेन आयोग को प्रस्तुत करें |
11. **पशुपालन विभाग :-** पशुपालन योजना से संबंधित कुल वितरित लाभार्थियों की संख्या कितनी है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति वर्ग के कितने हैं। बकरी-सुअर पालन अन्तर्गतअधिकतर संख्या में पशु मर जाते हैं जिस कारण स्थानीय स्तर पर सुअर एवं बकरी पालन करने तथा वितरण करने हेतु लाभुकों को प्रेरित किया जा सकता है ताकि सुअर बकरी जीवित रहें और लाभुकों को फायदा हो। जिला में कुल पशु चिकित्सकों की संख्या, प्रखण्ड स्तर पर पशुपालन पदाधिकारियों की स्वीकृत बल के विरूद्ध पदस्थापित पदाधिकारियों की संख्या से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराएं |
12. **कृषि विभाग :-** जिला में कुल कृषि भूमि कितना हेक्टेयर उपलब्ध है धान एवं दलहन कितना वितरण किया गया है। जिला में कृषि से संबंधित आगामी योजनाएं क्या-क्या हैं चना, खेसारी इत्यादी का उत्पादन करने के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजे । जिला में किसान मित्रों की संख्या कितनी है उक्त सभी बिन्दुओं पर आयोग को आकड़े प्रस्तुत करें |

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi



File No. Review/06/JH(Dist-WestSinghbhum)/2024-Coord (Computer No. 24546)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:00 pm

13. **पुलिस विभाग ;**- सभी थाना प्रभारी एवं अनुसंधान प्रभारी को अनुसूचित जनजाति के पीड़ित व्यक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिए। पुलिस कर्मियों/पदाधिकारियों के लिए पदोन्नति के लिए रोस्टर तैयार किया जाना चाहिए, और जिनकी सेवा 10 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उन्हें पदोन्नति देने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। संवेदनशील मामलों में पुलिस कर्मियों को छुट्टी देने की आवश्यकता है। आयोग को कुल थानों, अनुसूचित जनजाति/जाति थानों, पीसीआर वैन, गश्ती दल, थाने में पुलिस बल की उपलब्धता, अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध दर्ज मामले, अनुसूचित जनजातियों द्वारा दर्ज कराए गए मामले, और उक्त मामलों में चार्जशीट की स्थिति प्रस्तुत की जानी चाहिए। सभी थानों में SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किए जा सकते हैं।
14. जिला स्तर पर एक **आतंरिक शिकायत सेल (Internal Grievance Cell**) गठन करते हुए अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी / सहायक की प्रतिनियुक्ति करें, और जिससे छोटे-मोटे शिकायत जिला स्तर पर ही निष्पादित किया जा सकें, ऐसे मामले आयोग के पास न पहुँचे, संज्ञान में न आयें, ध्यान रखने की आवश्यकता हैं।

**जिला प्रशासन के सभी विभागों के अपने संबंधित पंचायतों और ब्लॉकों से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लाभार्थियों की स्पष्टता से पहचान करते हुए विस्तृत श्रेणीबद्ध डेटा का रख-रखाव करने की सलाह दी जाती है। आयोग ने इन मुद्दों के त्वरित और प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा जिला प्रशासन से सिफारिशों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया।**

******

**(डॉ. आशा लकड़ा)**
**सदस्य**
**राष्ट्रिय अनुसूचित जनजाति आयोग**

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi